

मुकदमों का विवरण

श्री नासिक पंचवटी पंजारपोल ट्रस्ट और ओआरएस।

बनाम

अध्यक्ष और ANDRI (2011 की सिविल अपील संख्या 2857) 22 अगस्त, 2023

[बेला एम. त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:अपीलार्थी-न्यास को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे की राशि का निर्धारण करते हुए संदर्भ न्यायालय द्वारा पुरस्कार पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लेने के लिए कि क्या दिया गया संदर्भ एस के अनुसार सीमा के भीतर था, पुरस्कार अपास्त करते हुए करने और मामले को रिमांड करने में न्यायसंगत ठहराया। 18, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और संदर्भ को नए सिरे से तय करें।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस। 18-अपीलकर्ता-न्यास द्वारा संदर्भ की मांग करते हुए किया गया आवेदन, यदि निर्धारित सीमा की अवधि से परे था। 18 या पार्टियों के बीच बनी सहमति की शर्तों के अनुरूप नहीं है:

आयोजित किया गया:एस के परंतुक को ध्यान में रखते हुए। 18, संदर्भ के लिए कलेक्टर को प्रत्येक आवेदन यू/एस। 18 इसके लिए परंतुक में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है-हालांकि, तत्काल मामले में, पक्षकारों ने यू/एस के बाद 20.10.1997 पर सहमति की शर्तों में प्रवेश किया है। 11 12.01.1996 पर किया गया था, और प्रतिवादी विशिष्ट रूप से यू/एस द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। 11 और अपीलार्थी से प्रश्न भूमि के खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को अपने हाथ में लेने के साथ-साथ उक्त भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए जिला न्यायालय को संदर्भित करने के लिए सहमत होने के बाद, यह कहना प्रत्यर्थी-समिति के मुंह में नहीं था कि अपीलार्थी-न्यास द्वारा जिला न्यायालय को संदर्भित करने के लिए किया गया आवेदन यू/एस द्वारा निर्धारित सीमा अवधि से परे था। 18 या सहमति 595 के अनुरूप नहीं था

594

श्री नासिक पंछावती पंजारपोल ट्रस्ट एंड ओआरएस.अध्यक्ष और ANDRI।

पक्षकारों के बीच तय की गई शर्तें-चूंकि सहमति की शर्तों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देश इस बारे में चुप थे कि अपीलार्थी को किस अवधि के भीतर प्रतिवादी-कलेक्टर को आवेदन करना चाहिए। 18, प्रत्यर्थी-समिति ने सहमति की शर्तों में ऐसी अस्पष्टता का अनुचित लाभ उठाते हुए, संदर्भ न्यायालय के समक्ष सीमा का मुद्दा उठाया-संदर्भ न्यायालय

ने सही निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार सीमा की अवधि के भीतर कलेक्टर के साथ संदर्भ का नेतृत्व किया गया था-उच्च न्यायालय ने उक्त सुविचारित निर्णयों में हस्तक्षेप करने और पूरे निर्णय अपास्त करते हुए करने और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए संदर्भ न्यायालय को वापस भेजने में गलती की-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को खारिज कर दिया गया।[पैरा 7 और 9]

हम कानून की व्याख्या नहीं कर रहे हैं-निर्माण में नुकसान का सिद्धांत:

आयोजित किया गया:सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के नियमों के अनुसार, दस्तावेज को समग्र रूप से और इसकी समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए-यदि दस्तावेज के किसी भी खंड में कोई अस्पष्टता या अव्यक्तता है, तो अदालतों को ऐसे खंड की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जो अन्य खंडों के अनुरूप हो और इसे निष्पादित करने वाले पक्षों के उद्देश्य और इरादे के साथ हो। [पैरा 8]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील की अधिकारिता सिविल अपील सं. 2857

2011

2006 के एफ. ए. सं. 1447 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 23.09.2009 के निर्णय और आदेश से।

सह

2011 की सिविल अपील सं. 2858।

रूप:

बी. एच. मालापल्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिल आहूजा, अजीत प्रवीण वाघ, अविनाश सौरभ, सौरभ कुमार, प्रसीत विलास सुरशे, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

596

/

[2023] 11 एस सी आर।

पराग पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. वाई. देशमुख, सुश्री मंजीत कृपाल, सुश्री अद्वितीया शर्मा, सुश्री मिशिका बाजपेयी, सचिन पाटिल, सुश्री युगांधरा पवार झा, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत बागला, सौरव सिंह, आदित्य कृष्ण, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

1. उत्तरदाता नं. 1-बाजार समिति ने बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की संख्या 1447 और 2006 की संख्या 1490 के रूप में दो प्रथम अपीलों को प्राथमिकता दी थी, जिसमें 1997 की भूमि संदर्भ संख्या 525 में द्वितीय तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नासिक (जिसे इसके बाद 'संदर्भ न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांकित पुरस्कार को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के माध्यम से 2006 की पहली अपील संख्या 1447 को अनुज्ञात और संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित दिनांक आई. डी. 2 के पुरस्कार को दरकिनार कर दिया, और इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को संदर्भ न्यायालय को भेज दिया कि क्या संदर्भ न्यायालय को दिया गया संदर्भ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 18 के अनुसार सीमा के भीतर था और संदर्भ पर नए सिरे से निर्णय लेता है। उच्च न्यायालय ने सम तिथि के अलग आदेश के माध्यम से, 2006 की पहली अपील संख्या 1490 का निपटारा करते हुए कहा कि 2006 की पहली अपील संख्या 1447 में पारित आदेश को देखते हुए, अपील निष्फल हो गई थी। अपीलार्थी-न्यास ने उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की पहली अपील संख्या 1447 और 2006 की 1490 में पारित निर्णयों और आदेशों से व्यथित तत्काल अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. यद्यपि एहि मामलाक इतिहास उतार-चढ़ाववला अछि, मुदा वर्तमान अपीलसभ पर निर्णय लेबाक उद्देश्यसँ आवश्यक तथ्यसभकेँ संक्षेपमे निम्नलिखित रूपमे प्रस्तुत कयल जा सकैत अछि - (i) अपीलार्थी-न्यास से संबंधित नासिक, मखमलाबाद में स्थित सर्वेक्षण संख्या 74,75,76 और 29 वाली भूमि का प्रत्यर्थी संख्या द्वारा अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। 2 प्रत्यर्थी के लिए सं. 1-महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 126 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कृषि उपज बाजार समिति, अधिसूचना दिनांक 17.06.1993 के माध्यम से।

श्री नासिक पंचवटी पंजारपोल ट्रस्ट एंड ओआरएस.अध्यक्ष और ANDR। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 598

597

(ii) उक्त अधिग्रहण कार्यवाही में, 12.01.1996 पर अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक पुरस्कार घोषित किया गया था। अपीलार्थी-न्यास ने 1996 की रिट याचिका संख्या 607 का नेतृत्व करते हुए उक्त कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि घोषित पुरस्कार वैधानिक अवधि की सीमा से परे था। प्रारंभ में उच्च न्यायालय ने 06.02.1996 पर अपीलार्थी (उक्त याचिका में याचिकाकर्ता) के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की, जिसके खिलाफ प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी थी। लेकिन इस न्यायालय ने एसएलपी को खारिज कर दिया।

(iii) चूंकि उक्त रिट याचिका में पारित उक्त अंतरिम आदेश के आधार पर, प्रश्न भूमि का कब्जा अपीलार्थी-न्यास के पास जारी रहा, और हालांकि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक

पुरस्कार घोषित किया गया था, लेकिन दी गई राशि प्रतिवादी संख्या के साथ बनी रही। 2, दोनों पक्षों को हुई कठिनाई पर विचार करते हुए, अपीलार्थी (उक्त याचिका में याचिकाकर्ता) और प्रत्यर्थी सं। 1-कृषि उपज बाजार समिति (प्रत्यर्थी सं। 4 उक्त रिट याचिका में) 20.10.1997 पर एक समझौते पर पहुंचे और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पक्षों के बीच सहमति की शर्तों के संदर्भ में उक्त रिट याचिका का निपटारा करे।

(iv) उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 1997 को निम्नलिखित आदेश पारित करके 1996 की उक्त रिट याचिका संख्या 607 का निपटारा किया:-

“पार्टियों की सहमति से आज बोर्ड पर अंतिम सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता और चौथे प्रतिवादी के बीच सहमति की शर्तों को रिकॉर्ड में लिया गया है।

सहमति की शर्तों का अध्ययन किया। वही न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत हैं और इसलिए स्वीकार किए जाते हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सहमति की शर्तों के संदर्भ में एक आदेश होगा और इसे एतद्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:

(क) यह निर्देश दिया जाता है कि सूट भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि धारा 6 के अंतर्गत (अवैध) अधिसूचना के प्रकाशन के डेढ़ साल बाद होगी और इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि बाजार मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

/

[2023] 11 एस सी आर।

(ख) यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता इस आदेश की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर दूसरे प्रतिवादी के माध्यम से चौथे प्रतिवादी को खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देगा और याचिकाकर्ता ट्रस्ट को कब्जा सौंपते समय दूसरे प्रतिवादी द्वारा धारा 11 के अंतर्गत पुरस्कार के अंतर्गत निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ग) यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता न्यास 4 सप्ताह के भीतर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दूसरे प्रतिवादी को आवेदन करेगा और दूसरे प्रतिवादी को रसीद की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर जिला न्यायालय, नासिक को निर्देश भेजने का निर्देश दिया जाता है। यह आगे निर्देश दिया जाता है कि जिला न्यायालय संदर्भ को सुनने के बाद 17.12.1994 दिनांक के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई है।

(घ) पक्षकार विधि के अनुसार, जिला न्यायालय में संदर्भ में दिए गए मूल्यांकन के संबंध में निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ई) इस तरह से हुए समझौते और निर्णय को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिका का निपटारा किया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

(v) उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुसार, अपीलार्थी को 17.11.1997 पर भुगतान किया गया था और भूमि का कब्जा अपीलार्थी द्वारा सौंप दिया गया था। इसके बाद अपीलार्थी ने 03.12.1997 पर प्रतिवादी संख्या को एक आवेदन प्रस्तुत किया। 2-कलेक्टर जिला न्यायालय में निर्देश की मांग कर रहे हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2-कलेक्टर ने तदनुसार मामले को 18.12.1997 पर जिला न्यायालय को भेज दिया।

(vi) संदर्भ न्यायालय ने उक्त संदर्भ में उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए सीमा के मुद्दे पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि कलेक्टर के नेतृत्व में निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सीमा की अवधि के भीतर था। संदर्भ न्यायालय ने दिनांकित 07.03.2006 पुरस्कार के माध्यम से अपीलार्थी-न्यास को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे की राशि का निर्धारण किया।

श्री नासिक पंचवटी पंजारपोल ट्रस्ट एंड ओआरएस.अध्यक्ष और ANDR। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 600

599

(vii) प्रत्यर्थी सं। 1-समिति ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की 1447 और 2006 की 1490 की पहली अपील दायर की, जिसे ऊपर बताए गए आक्षेपित आदेशों के माध्यम से अनुज्ञात गई।

3. अपीलार्थी-न्यास की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. एच. मालापल्ले ने प्रस्तुत किया कि सीमा के मुद्दे के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय प्रत्यक्ष रूप से गलत हैं। उनके अनुसार, हालांकि सहमति की शर्तों, विशेष रूप से, खंड (सी) को खुशी से नहीं कहा गया था, उच्च न्यायालय ने दिनांकित आदेश के माध्यम से रिट याचिका का निपटारा प्रश्न ते हुए संदर्भ न्यायालय को निर्दिष्ट रूप से निर्देश दिया था कि वह पक्षों के बीच सहमति के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित प्रश्न े, और इसलिए, प्रतिवादी अधिनियम की धारा 18 में निहित सीमा का मुद्दा नहीं उठा सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों को सहमति की शर्तों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में कार्य प्रश्न ना था, और इसलिए प्रतिवादी-समिति धारा 18 के अंतर्गत सीमा का मुद्दा नहीं उठा सकती थी। 4. कॉन्ट्रा के अनुसार, प्रतिवादी नं. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पराग त्रिपाठी। 1-समिति ने सहमति की शर्तों के सेवा खंड (ग) पर जोर देते हुए जोरदार रूप से प्रस्तुत किया कि उक्त खंड में कोई समय सीमा उल्लिखित नहीं होने के कारण, यह अर्थ लगाना आवश्यक था कि अपीलकर्ता-न्यास को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दूसरे प्रतिवादी को आवेदन करना था, यानी <ID2 से और अपीलकर्ता ने 03.12.1997 पर संदर्भ के लिए आवेदन किया था, यानी

20.10.1997 दिनांकित आदेश के चार सप्ताह के बाद, इस तरह के आवेदन को सहमति की शर्तों के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सीमा द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

5. 1996 की रिट याचिका संख्या 607 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.10.1997 के आदेश को सावधानीपूर्वक देखने के बाद, अपीलार्थी-न्यास और प्रत्यर्थी संख्या के बीच सहमति की शर्तों के आधार पर। 1-समिति, और संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, हमारी राय है कि प्रतिवादी-समिति द्वारा संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए सीमा का मुद्दा न केवल मान्य था, बल्कि अत्यधिक अनुचित और अनुचित था। जैसा कि सहमति की शर्तों से स्पष्ट है, उक्त सहमति की शर्तों पर पहुंचने का उद्देश्य ही कठिनाइयों को दूर करना था

/

[2023] 11 एस सी आर।

रिट याचिका के लंबित होने के कारण दोनों पक्षों को अपीलार्थी-न्यास को मौद्रिक नुकसान हो रहा था क्योंकि वह उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दी गई राशि पर ब्याज खो रहा था, और प्रत्यर्थी नं. 1-समिति को हालांकि भूमि की सख्त आवश्यकता थी, लेकिन अधिग्रहण के अंतर्गत उक्त भूमि के कब्जे से वंचित कर दिया गया था। उक्त सहमति की शर्तों के अनुसार, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि प्रश्न भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि 17.12.1994 होगी। यह भी सहमति हुई कि अपीलार्थी-न्यास खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को प्रत्यर्थी-समिति को सौंप देगा और अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी-समिति द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत निर्णय के अंतर्गत निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा। अंत में, यह सहमति हुई कि अपीलार्थी-न्यास चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी नं. 2 अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत और प्रतिवादी सं. 2 भूमि के मूल्य के निर्धारण के लिए उक्त संदर्भ को 17.12.1994 पर जिला न्यायालय, नासिक को भेजेगा। उच्च न्यायालय ने उक्त सहमति की शर्तों के संदर्भ में निर्देश देते हुए उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

6. अब, चूंकि सहमति की शर्तों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देश इस बारे में चुप थे कि अपीलकर्ता को किस अवधि के भीतर प्रत्यर्थी-कलेक्टर को अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ की मांग करने के लिए आवेदन करना चाहिए, इसलिए प्रत्यर्थी-समिति ने सहमति की शर्तों में ऐसी अस्पष्टता का अनुचित लाभ उठाते हुए, संदर्भ न्यायालय के समक्ष सीमा का मुद्दा उठाया। अपीलार्थी से प्रश्न भूमि का कब्जा लेने के बाद उठाई गई ऐसी याचिका न केवल सहमति की शर्तों के अनुरूप थी, बल्कि यह प्रत्यर्थी की ओर से गलत उद्देश्य से प्रेरित थी। उच्च न्यायालय ने 1996 की रिट याचिका संख्या 607 का निपटारा करते हुए सहमति की शर्तों के संदर्भ में निर्देश दिए थे और दोनों पक्षों से उसी के अनुसार कार्य करने की

अपेक्षा की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 18 में निहित सीमा का मुद्दा स्पष्ट रूप से महत्वहीन हो गया था, और प्रतिवादी संदर्भ न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी याचिका नहीं उठा सकता था।

7. इस कानूनी प्रस्ताव पर कोई असहमति नहीं हो सकती है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 के परंतुक को देखते हुए, धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ की मांग करने वाले कलेक्टर को प्रत्येक आवेदन धारा 18 के परंतुक में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, तत्काल मामले में, पक्षों ने 601 के अंतर्गत पुरस्कार के बाद 20.10.1997 पर सहमति की शर्तें दर्ज की हैं।

श्री नासिक पंछावती पंजारपोल ट्रस्ट एंड ओआरएस. अध्यक्ष और ANDR। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

धारा 11 आई. डी. 2 पर बनाई गई थी, और प्रत्यर्थी धारा 11 के अंतर्गत दिए गए मुआवजे का भुगतान करने और अपीलार्थी से प्रश्न भूमि के खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को लेने के लिए विशिष्ट रूप से सहमत होने के साथ-साथ उक्त भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए जिला न्यायालय, नासिक को संदर्भित करने के लिए भी सहमत होने के बाद, यह कहना प्रत्यर्थी-समिति के मुंह में नहीं था कि अपीलार्थी-न्यास द्वारा जिला न्यायालय, नासिक को संदर्भित करने के लिए किया गया आवेदन धारा 18 के अंतर्गत निर्धारित सीमा की अवधि से परे था या पक्षों के बीच बनी सहमति की शर्तों के अनुरूप नहीं था। चूंकि 17.12.1994 पर भूमि का बाजार मूल्य, जो कि पक्षों द्वारा सहमत की गई गणना योग्य तिथि थी, जिला न्यायालय, नासिक द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक था, इसलिए धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ की मांग करने के लिए कलेक्टर को आवेदन करना एक विशुद्ध प्रक्रियात्मक औपचारिकता थी जिसका अपीलार्थी द्वारा पालन किया जाना आवश्यक था। यद्यपि सहमति की शर्तें और उच्च न्यायालय के निर्देश इस बारे में मौन थे कि अपीलार्थी को किस अवधि के भीतर ऐसा आवेदन करना था, लेकिन यह समझना आवश्यक था कि अपीलार्थी को धारा 11 के अंतर्गत दिए गए मुआवजे को प्राप्त करने के बाद और भूमि का कब्जा सौंपने के बाद आवेदन करना था, जो उसने किया।

8. यह नहीं कहा जा सकता है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के नियमों के अनुसार, दस्तावेज को समग्र रूप से और इसकी समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए। यदि दस्तावेज के किसी भी खंड में कोई अस्पष्टता या अव्यक्तता है, तो अदालतों को ऐसे खंड की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जो अन्य खंडों के अनुरूप हो और इसे निष्पादित करने वाले पक्षों के उद्देश्य और इरादे के अनुरूप हो। 9. संदर्भ न्यायालय ने मामले के सभी कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने के बाद उचित निर्णय दिया था कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार सीमा अवधि के भीतर कलेक्टर के साथ संदर्भ का नेतृत्व किया गया था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने संदर्भ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उक्त सुविचारित निर्णयों में हस्तक्षेप करने और पूरे निर्णय अपास्त करते हुए और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए संदर्भ न्यायालय को वापस भेजने में घोर त्रुटि की थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश प्रत्यक्ष रूप से गलत होने के कारण, उन्हें दरकिनारा कर दिया जाता है।

10. मामले के उस दृष्टिकोण में, दोनों अपीलों की अनुज्ञात है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुज्ञात गई।

दिव्या पांडे